सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

ना0 अ0 सं0 25/2017

आम जनता ग्राम रामबास व तीतरवाडा कलॉ तहसील व जिला दौसा

1. मूलचंद पुत्र चंदाराम
2. लोहडीराम पुत्र हरजी
3. महेश चंद्र पुत्र नवल किशोर
4. बंशी पुत्र राम प्रताप समस्त जाति मीना निवासी रामबास तहसील व जिला दौसा
5. भग्गू पुत्र मूलचंद जाति बैरवा
6. श्रीचंद पुत्र भौरीलाल जाति वैष्णव
7. कल्या पुत्र नारायण जाति रैगर
8. शंभू पुत्र रेवत्या जाति जोगी
9. परसादी पुत्र गोपाल जाति कुम्हार
10. जगदीश पुत्र मंगलराम जाति राणा समस्त निवासी ग्राम रामबास तहसील व जिला दौसा
11. प्रभाती लाल पुत्र राम सहाय जाति जांगिड
12. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन
13. छोटेलाल पुत्र भगवान सहाय जाति डाकोत
14. कालूराम पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण समस्त निवासी तीतरवाडा कलॉ तहसील व जिला दौसा ... अपी0

बनाम

1. सवाई सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
2. जसवंत सिंह पुत्र बाबूसिंह
3. दरबार सिंह पुत्र बाबूसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी तीतरवाडा कलॉ तहसील व जिला दौसा
4. मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुण्डल तहसील व जिला दौसा द्वारा शाखा प्रबंधक
5. एसबीबीजे (अब एसबीआई) बैंक शाखा दौसा द्वारा शाखा प्रबंधक
6. राजस्थान सरकार तहसीलदार तहसील दौसा .. रेस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना –पत्र दफा 5 कानून मियाद

उपस्थितिः– 1. श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता अपी0
2. श्री आर सी शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 एक
3. श्री हुकुम सिंह अवाना अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 व 3

निर्णय दिनांक 07.08.18

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा यह अपील अ0 धा0 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 70 ग्राम तीतरवाडा कलॉ तहसील व जिला दौसा दिनांक 12.06.65 के विरुद्ध पेश की गई है। साथ ही प्रार्थना पत्र अ0 धा0 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील समय सीमा में शुमार कर स्वीकार फरमाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 12.06.65 तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु इस्तदुआ की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई व रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 सं0 एक द्वारा दिनांक 23.04.2018 को प्रा0 पत्र दफा–5 व प्रार्थना–पत्र नियुक्त मौका कमिश्नर का जवाब पेश किया गया तथा दफा–5 के प्रा0 पत्र पर आपत्ति जताई जाकर दफा–5 पर सुना जाने हेतु निवेदन किया गया। चूँकि अपील को तय करने से पूर्व प्रार्थना पत्र अ0 धा0 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर उभय पक्ष को सुना जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की प्रार्थना पत्र अ0 धा0 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के संबंध में बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 पूर्वजों के नाम दिनांक 27.11.64 को पारित नामान्तरकरण भरने का आदेश व आदेश की पालना दिनांक 12.06.65 को पारित नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार विहीन अवैध एवं प्रभावशून्य आदेश है, जिसे चुनौती देने में समय सीमा बाधक नहीं है। प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी आदेश की जानकारी प्रत्यर्थीगण द्वारा भूमि अंकित नामान्तरकरण पर ग्रामवासीगण के मार्ग को जेसीबी से गड्डे खुदवाकर बंद करने, मार्ग में डोली लगाकर अवरोध पैदा करने पर, प्राप्त करने पर हुई हैं। अतः विवाद से बचने के लिए आवेदन अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत है, जिसे स्वीकार फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में आरबीजे (13) 2006पेज 796, आरबीजे (10) 2003पेज 366, आरबीजे (9) 2002 पेज 399, आरआरडी 1989 पेज 45 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के तर्को का खण्डन करते हुए बहस में दलील है कि प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य व विवरण कतई मिथ्या, निराधार एवं मनगढन्त होने के कारण अस्वीकार है। अपील 53 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। उक्त देरी का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया हैं। जबकि प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में विलंब का युक्ति–युक्त कारण दर्शित करना आवश्यक है एवं उक्त आदेश की जानकारी किस दिन एवं किस माध्यम से हुई स्पष्ट विवरण देना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र दफा–5 सारहीन व बलहीन होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील अ0 धा0 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 70 ग्राम तीतरवाडा कलॉ तहसील व जिला दौसा दिनांक 12.06.65 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अ0 धा0 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील समय सीमा में शुमार कर स्वीकार करने की इस्तदुआ की गई है। विचाराधीन अपील का मूल विषय वाद के प्रार्थना पत्र अ0 धा0 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम से संबंधित है। किंतु विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अनेक बिंदु उठाये गये है, जो कि विचाराधीन वाद की मैरिट से संबंधित है तथा जिनका विवेचन/निस्तारण अपील में ही किया जाना न्यायोचित है। यहॉ तो केवल मात्र इतना देखना है कि प्राथमिक स्तर पर प्रा0 पत्र चलने योग्य है अथवा नहीं किंतु इसके विपरीत अधिवक्तागण द्वारा कई बिंदु उठाये गये है, जो प्रार्थना पत्र अ0 धा0 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम से संबंधित ही नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अ0 धा0 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अपील लगभग 53 वर्ष पश्चात पेश की गई है साथ ही अपीलांट द्वारा ऐसे कोई युक्तियुक्त एवं स्पष्ट कारण अपने प्रा0 पत्र में अंकित नहीं किये गये जिससे इस पर विचार किया जाता। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अ0 धा0 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम खारिज योग्य है। साथ ही अपीलांट का प्रा0 पत्र मौका कमिश्नर भी अब विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, खारिज किया जाता है।

अपीलांट आम जनता ग्राम रामबास व तीतरवाडा कलॉ तहसील व जिला दौसा जरिये मूलचंद पुत्र चंदाराम वगै0 द्वारा ने इस न्यायालय में अपील देरी से पेश करने के लिए अपने प्रार्थना–पत्र में ऐसे तात्विक तथ्य नहीं दिए, जिन्हें कि 'पर्याप्त हेतुक' कहा जा सकें। उपर्युक्त विचार विमर्श के परिणामस्वरुप परिसीमा अधिनियम–1963 की धारा 5 के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गुणवत्ता की कमी होने से खारिज किया जाता है। साथ ही अपील अपीलांट समयबाधित मानकर ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाती है। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 07 अगस्त, 2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official